सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः— श्री अंशुल सिंह, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 270/2018 दायर दिनाँक 02.08.2018

वादी		प्रतिवादीगण
1. सुलेमान पुत्र कालू खां जाति शैरानी निवासी शैरानी आबाद तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. तहसीलदार डीडवाना।

दावा बाबत्
रेकर्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 136 L.R.T. Act.

उपस्थितः—

1. श्री शरीफ शेरानी वकील वादी।

दिनाँक 05.03.2020

—:: निर्णय ::—

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि, वादी की खातेदारी का खेत खसरा सं0 1587 रकबा 01 बीघा 07 बिस्वा मौजा शेरानी आबाद में अवस्थित है।

खसरा सं0 204 रकबा 07 बीघा 04 बिस्वा संयुक्त खातेदारी में होने से न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 12.04.2017 को प्राथमिक डिक्री जारी की गई। जिसमें वादी सुलेमान ने उक्त खसरा नम्बर में से अपनी 01 बीघा 07 भूमि ही दर्शाई है तथा पटवारी हल्का शेरानी आबाद ने भी नजरी नक्शा व पी.डी. में भी 01 बीघा 07 बिस्वा भूमि दर्शाई है। जबकि नामान्तरकरण में पटवारी की भूल से खसरा सं0 1587/204 रकबा 01 बीघा 07 बिसवा की जगह 01 बीघा 04 बिस्वा दर्ज हो गई है।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 270 / 2019
दायर दिनाँक 02.08.2019, निर्णय दिनाँक 05.03.2020
सुलेमान बनाम तहसीलदार डीडवाना, वगैरा।

मूल खसरा सं0 204 रकबा 07 बीघा 04 बिस्वा था जिसमें बंटवारा से उक्त खसरा में से चार हिस्से हुए जिसमें वादी के 01 बीघा 07 बिस्वा व खातेदार मकबुल के 04 बीघा तथा खातेदार शेर मोहम्मद के 13 बिस्वा व खातेदार लाल मोहम्मद के 01 बीघा 04 बिस्वा हो गई है। जिसकों राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त करवाने का अधिकारी है।

खसरा सं0 1587 / 204 रकबा 01 बीघा 04 बिस्वा की जगह 01 बीघा 07 बिस्वा राजस्व रेकर्ड में दर्ज करवाना हेतु यह दावा बाबत रेकर्ड दुरूस्ती का पेश किया जा रहा है।

प्रार्थना वादी है कि वाके सरहद शेरानी आबाद के खेत खसरा सं0 1587 / 204 रकबा 01 बीघा 04 बिस्वा राजस्व रिकॉर्ड में सहवन से गलत दर्ज हो गया जिसकों दुरूस्ती का पेश किया जा रहा है।

प्रार्थना वादी है कि वाके सरहद शैरानी आबाद के खसरा सं0 1587 / 204 रकबा 01 बीघा 04 बिस्वा राजस्व रेकर्ड में सहवन से गलत दर्ज हो गया जिसकों दुरूस्त करके रकबा 01 बीघा 07 बिस्वा राजस्व रेकर्ड में दुरूस्त किया जावें तथा इसी अनुरूप राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार डीडवाना का जवाब पेश हुआ। तहसीलदार डीडवाना के जवाब अनुसार न्यायालय के प्रकरण संख्या 67 / 2017 में पारित निर्णय दिनांक 31.05.2017 की पालना में हल्का द्वारा खसरा सं0 204 रकबा 7.04 बीघा के स्थान पर 7.01 बीघा का नामान्तरकरण दर्ज किया गया। रकबा 0.03 बीघा का

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 270/2019
दायर दिनाँक 02.08.2019, निर्णय दिनाँक 05.03.2020
सुलेमान बनाम तहसीलदार डीडवाना, वगैरा।

मिलान अनुसार कम है। अतः सुलेमान की खतेदारी में घोषित रकबा यदि 01.07 बीघा हो तो रिकार्ड दुरूस्त किये जाने के आदेश फरमावें।

बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया गया। तहसीलदार डीडवाना के जवाब अनुसार दावा डिक्री किया जाना उचित है। अतः वाद विवेचन दावा स्वीकार किया जाता है।

आदेश

अतः हस्ब दावा डिक्री कर वाके सरहद शेरानी आबाद के खसरा सं0 1587/204 रकबा 01 बीघा 04 बिस्वा के स्थान पर रकबा 01 बीघा 07 बिस्वा दुरूस्त किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त हो। डिक्री जारी हो।

(अंशुल सिंह)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक **05.03.2020** को सरे ईजलास में सुनाया गया।

(अंशुल सिंह)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : **श्री अंशुल सिंह, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः 270/2019 दायर दिनॉक 02.08.2019

वादी		प्रतिवादीगण
1. सुलेमान पुत्र कालू खां जाति शैरानी निवासी शैरानी आबाद तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. तहसीलदार डीडवाना।

दावा बाबत्
रेकर्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 136 **L.R.T. Act.**

दिनॉक 05.03.2020

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री शरीफ शेरानी वकील वादी की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, वाके सरहद शेरानी आबाद के खसरा सं0 1587/204 रकबा 01 बीघा 04 बिस्वा के स्थान पर रकबा 01 बीघा 07 बिस्वा दुरूस्त किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–.............. बाबत....................–....................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 05.03.2020 को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील	–		खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	–		फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बाबत इजराय		
बाबत इजराय			हुक्मनामा		
हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Singh
Date: 2020.05.07 14:59:18 IST
Reason: SelfAttested
Location: